रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243587 CG-DL-E-14022023-243587

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] No. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली. 14 फरवरी. 2023

सा.का.नि. 99(अ).— भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्ः-

- 1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2023 कहा जाए।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में **"छत्तीसगढ़"** शीर्षक के लिए और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

958 GI/2023 (1)

"छत्तीसगढ़

GAILATE	
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	110
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
सरकार के प्रधान सचिव	7
महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी	1
एचसीएम के प्रधान सचिव	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
सरकार के सचिव	11
सदस्य राजस्व बोर्ड	1
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
श्रम आयुक्त	1
आबकारी आयुक्त	1
आयुक्त, जनजातीय विकास	1
आयुक्त, उद्योग	1
विकास आयुक्त	1
मण्डल आयुक्त	5
आयुक्त, कृषि	1
आयुक्त, परिवहन	1
आयुक्त, भू-अभिलेख	1
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	1
आयुक्त, जनसंपर्क	1
कलेक्टर	29
कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं पदेन सीईओ, जिला पंचायत/अपर कलेक्टर	11
नगर निगम आयुक्त	2
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	14
निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश	1
निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1
निदेशक, शहरी प्रशासन	1
निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण	1
निदेशक, नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुरक्षा	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1

	निदेशक, कोषागार और लेखा	1
	निदेशक, संस्थागत वित्त	1
	निदेशक, बजट	1
	निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	1
	अपर संभागीय आयुक्त	1
1	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	110
2	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	44
3	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	27
4	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	3
5	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	18
6	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे	61
	जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं	
7	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	141
	कुल प्राधिकृत संख्या	"202

[फा. सं. 11031/03/2021 -अ.भा.से.-II (क)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

- टिप्पणी (1) इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 193 थी।
- टिप्पणी (2) मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ संख्या-3350 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। तत्पश्चात ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड संवर्ग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किये गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	811 (अ)	21.10.2000
2	812 (अ)	21.10.2000
3	427	18.12.2004
4	230 (अ)	27.03.2008
5	188 (अ)	24.03.2009
6	431 (अ)	20.05.2010
7	1061 (अ)	10.11.2016

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Chhattisgarh**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "Chhattisgarh" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"Chhattisgarh

Senior Duty Posts under the State Government Chief Secretary	1
President, Board of Revenue	
Agriculture Production Commissioner	
Agriculture Froduction Commissioner	
Principal Secretary to Government	
Director General Administrative Academy	
Principal Secretary to HCM	
Chief Electoral Officer	
Secretary to Government	
Member, Board of Revenue	
Commissioner, Commercial Taxes	
Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi	
Registrar, Co-operative Societies	
Labour Commissioner	
Excise Commissioner	
Commissioner, Tribal Development	
Commissioner, Industries	
Development Commissioner	
Divisional Commissioners	
Commissioner Agriculture	
Commissioner Transport	
Commissioner Land Records	
Commissioner, Health Services	
Commissioner, Public Relation	
Collector	
Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat / Additional Collector	-
Municipal Commissioner	
Additional Secretary/Joint Secretary//Deputy Secretary to Government	
Director, Public Instruction	-
Director, Women and Child Development	
Director, Urban Administration	
Director, Panchayat & Social Welfare	
Director, Food Civil Supplies & Consumer Protection	
Secretary, Public Service Commission	
Director, Treasuries & Accounts	
Director, Institutional Finance	
Director, Budget	

	Director, Local Fund Audit	1
	Additional Divisional Commissioner	1
1	Total Senior Duty Posts	110
2	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	44
3	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	27
4	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	3
5	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	18
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service	61
	(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	141
	Total Authorised Strength	202"

[F. No. 11031/03/2021-AIS-II (A)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note 1: Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Chhattisgarh IAS Cadre was 193.

Note 2: The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22.10.1955. Subsequently, they were amended in respect of the Jharkhand Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates:-

S. No.	GSR Nos.	Date
1.	811(E)	21.10.2000
2.	812(E)	21.10.2000
3.	427	18.12.2004
4.	230 (E)	27.03.2008
5.	188(E)	24.03.2009
6.	431(E)	20.05.2010
7.	1061(E)	10.11.2016